...यालय सहायक जिलाधीश एवम् उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्याः—74/2022 **दायरा दिनांकः—05.04.2022**

JCMS No. 2022/166

सुरजाराम पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ
2. श्री बादू देवी पत्नी श्री मनफूल
3. गुड्डी देवी
4. रामी देवी
5. कृष्णलाल
6. सजना देवी
7. कमला देवी
8. सहीराम
9. रामकुमार
10. किशोरीलाल

(3 से 10: पि0 मनफूल; 2 से 10: अकवाम जाट निवासीयान सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर)

11. गुड्डी पत्नी श्री खीयांराम
12. रामप्यारी
13. महावीर
14. ज्यानादेवी
15. फुसाराम

(12 से 15: पि0 खीयांराम; 11 से 15: अकवाम जाट निवासीयान सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर)

..............प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

1. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक वादी
2. श्री प्रभूदयाल वर्मा अभिभाषक प्रतिवादी नं0 2 ता 15

निर्णय

दिनांकः— 07.06.2024

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रति0 नं0 2 ता 10 के पति/पिता स्व0 श्री मनफूल पुत्र श्री गंगाराम व प्रतिवादी नं0 11 ता 15 के पति/पिता स्व0 श्री खीयांराम पुत्र श्री गंगाराम के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 2 बीजेडब्लयु द्वितिय खाता नं0 66 [illegible] (107) कि0न0 12,13,18,19, 20/1, 21/1 ता 24 = 2.201 है0 अ0क0, प0नं0 53/35 (116) कि0न0 [illegible] 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19,23 = 3.289 है0 अ0क0 कुल 5.490 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में 3/6 हिस्सा यानि 1/2 [illegible] ब0हि0ब0 खातेदारी भूमि जमांबदी पटवार वाके दर्ज है। जिसकी सत्यप्रतिलिपि शामिल पत्रावली हैं। प्रतिवादी नं0 2 ता 10 के पति/पिता स्व0 श्री मनफूल पुत्र श्री गंगाराम व प्रतिवादी नं0 11 ता 15 के पति/पिता स्व0 श्री खीयांराम पुत्र श्री गंगाराम का देहान्त हो चुका है।

.......लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.10 13:02:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

स्व0 श्री मनफूल व स्व0 श्री खीयांराम के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली हैं। जैरवाद रकबा वादी के पिता एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 15 के ससुर/दादा गंगा पुत्र श्री जेठा के नाम से चक 185 आरडीआर बी में था। जमाबंदी खाता नं0 19/24 सम्वत् 2058 से 2061 की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल पत्रावली हैं। जो कि अब नवीन चक 2 बीजेडब्लयु द्वितिय में पैमूद हो चुका है। स्व0 श्री गंगा का देहान्त हो चुका है। स्व0 श्री गंगाराम के वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 15 के पति/पिता श्री मनफूल व श्री खीयाराम तीन पुत्र व चार पुत्रिया शान्ति देवी, पारा देवी, दानी देवी, बिमला देवी कुल सात जायज वारिस थे। चारो बहनो ने अपना हिस्सा जरिये परित्यागपत्र दिनांक 27.02.2002 को वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 15 के पति/पिता श्री मनफूल व श्री खीयाराम के हक में परित्याग कर दिया। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद जरिये इन्तकाल नं0 66/20.12.2002 को हो चुका है। परित्यागपत्र दिनांक 27.02.2002 एवं इन्तकाल नं0 66 की प्रतिलिपि शामिल पत्रावली है। वरवक्त परित्याग पत्रदिनांक 27.02.2002 को तहरीर करवाकर तस्दीक करवाते समय वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 15 के पति/पिता श्री मनफूल व श्री खीयाराम के पिता का सही व सत्य नाम गंगाराम दर्ज करवाया था। मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र भी स्व0 श्री गंगाराम के प्रस्तुत किये थे। परन्तु राजस्व पटवारी द्वारा उक्त परित्यागपत्र का अमलदरामद करते समय वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 15 के पति/पिता श्री मनफूल व श्री खीयाराम के पिता का नाम सहब से गंगाराम के स्थान पर जेठाराम दर्ज कर दिया। जबकि जेठाराम, गंगाराम का पिता तथा वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 15 के पूर्वज स्व0 श्री मनफूल तथा श्री खीयांराम का दादा था। उक्त इन्द्राज सहब से तथा राजस्व पटवारी की गलती से हुआ है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड में पिता का नाम गंगाराम दर्ज हैं इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 2 ता 15 के पति/पिता श्री मनफूल व श्री खीयाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 08.04.2015/02.06.2013 व वारिस प्रमाण दिनांक 15.09.2017/05.07.2013 में भी स्व0 श्री मनफूल व श्री खीयांराम के पिता का नाम गंगाराम अंकित है। वादी के पहचान के दस्तावेज व स्व0 श्री मनफूल तथा स्व0 श्री खीयांराम के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि शामिल पत्रावली है। वादी द्वारा बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से कागजात जमाबंदी, गिरदावरी तथा भूमि प्रमाण पत्र तैयार करवाकर अपने पहचान के दस्तावेजो के साथ बैंक के कर्मचारी से मिला तो बैंक कर्मचारी द्वारा वादी के पिता नाम राजस्व रिकार्ड मे जेठाराम तथा पहचान के दस्तावेजो में गंगाराम अंकित होने के कारण बैंक ऋण देने से मना कर दिया। तब पटवारी हल्का से मिलने पर वादी को ज्ञात हुआ कि तत्कालिन पटवारी की गलती से पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर जेठाराम अंकित हो गया है। जो कि गलत है। जिसे श्रीमान तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर दुरूस्त करवाना होगा। वादी द्वारा पटवारी हल्का के कहे अनुसार करीबन एक सप्ताह पहले भूमि सम्बन्धि कागताज व अपने पहचान के दस्तावेज लेकर जरिये प्रार्थना पत्र पिता का नाम गलत रूप से दर्ज जेठाराम के स्थान पर सही नाम गंगाराम की दुरूस्ती चाही तो प्रतिवादी नं0 1 श्रीमान तहसीलदार द्वारा मौखिक रूप से सक्षम न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती हेतु कार्यवाही करने को कहां [illegible] वादी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी नं0 1 की यही इंकारी वादपत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण है। राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नही होने के कारण वादी अपने अधिकार से वंचित हो रहा है, पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर जेठाराम दर्ज होने के कारण वादी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा हैं। अतः वादपत्र स्वीकार कर चक 2 बीजेडब्लयु द्वितिय खाता नं0 66 की 5.490 है0 में वादी के पिता का नाम जेठाराम के स्थान पर गंगाराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

......लगातार 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.10 13:02:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 2 ता 15 की ओर से दिनांक 04.01.2023 को अधिवक्ता श्री प्रभूदयाल वर्मा हाजिर आकर इकबालदावा मय प्रतिदावा पेश कर अपने पूर्वज मनफूल व खीयाराम के पिता का नाम गंगाराम दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादी द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। जो शामिल पत्रावली हैं। दोनो पक्षो के लिखित कथन के आधार पर दिनांक 17.08.2023 को तनकीयात कायम की गई। वादी द्वारा दिनांक 14.12.2023 को हाजिर आकर अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली हैं।

पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत हुई वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। दोनो पक्षकारो द्वारा बहस में सहमति प्रकट करने पर पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अतः वादपत्र हम स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः वादपत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड चक 2 बीजेडब्लयु द्वितिय प0न0 53/34 (107) कि0न0 12,13,18,19, 20/1, 21/1 ता 24 = 2.201 है0 अ0क0, प0न0 53/35 (116) कि0न0 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19,23 = 3.289 है0 अ0क0 कुल 5.490 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में वादी के पिता का नाम जेठाराम के स्थान पर गंगाराम अर्थात सुरजाराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर सुरजाराम पुत्र गंगाराम दर्ज किया जावें। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.10 13:02:16 IST
Reason: SelfAttested

।। पर्चा डिक्री ।।

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(बइजलास : श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस.)

–अनवान–

सुरजाराम पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ
2. श्री बादू देवी पत्नी श्री मनफूल
3. गुड्डी देवी
4. रामी देवी
5. कृष्णलाल
6. सजना देवी
7. कमला देवी
8. सहीराम
9. रामकुमार
10. किशोरीलाल

(3 से 10 तक) पि0 मनफूल; (2 से 10 तक) अकवाम जाट निवासीयान सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

11. गुड्डी पत्नी श्री खीयांराम
12. रामप्यारी
13. महावीर
14. ज्यानादेवी
15. फुसाराम

(12 से 15 तक) पि0 खीयांराम; (11 से 15 तक) अकवाम जाट निवासीयान सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

.............प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं0 74 वर्ष 2022 पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी राकेश सारस्वत, प्रतिवादी नं0 2 ता 15 श्री प्रभूदयाल वर्मा के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती हैं कि:–

वाके चक 2 बीजेडब्लयु द्वितिय प0न0 53/34 (107) कि0न0 12,13,18,19, 20/1, 21/1 ता 24 = 2.201 है0 अ0क0, प0न0 53/35 (116) कि0न0 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19,23 = 3.289 है0 अ0क0 कुल 5.490 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में वादी के पिता का नाम जेठाराम के स्थान पर गंगाराम अर्थात सुरजाराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर सुरजाराम पुत्र गंगाराम दर्ज किया जावें। शेष खाता बदस्तूर यथावत् रहें। निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें।

नोज............×.......... मुबलिग..........×.......... बाबत..........×.......... व इस मुकदमें में मय सूद बशरह..........×..... ....फस्दो की पालना ....×............ आज की तारीख से ता0 वसूलया वो तक की अदा करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.10 13:02:16 IST
Reason: SelfAttested

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07-06-2024............ को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ